

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133]

भोपाल, शुक्रवार दिनांक 25 मार्च 2022—चैत्र 4, शक 1944

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2022

क्र. एफ 35-43-2022-मध्यम-इकतीस.—मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 37 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-35-43-मध्यम-इकतीस, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 की निरन्तरता में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कृषि प्रयोजनों के लिए उद्वहन सिंचाई योजनाओं एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिये नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जल दरें नियत करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	विवरण	जल दरें (रु. प्रति हैक्टर)
(1)	(2)	(3)
1.	उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिए जल दर	1000
2.	सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं (पी डी एन) के लिए जल दर	1250

No. F 35-43-2022-MEDIUM-XXXI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 37 of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931) and in continuation of this Departments notification No. F-35-43-Medium-XXXI dated 29th October 2021, the State Government, hereby, fixes the water rates specified in schedule below for lift irrigation schemes and micro irrigation projects for agricultural purposes, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Description	Water Rates (Rs. Per Hectare)
(1)	(2)	(3)
1.	Water Rate for List Irrigation Schemes	1000
2.	Water Rate for Micro Irrigation Project (PDN)	1250

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. टेकाम, उपसचिव.